पत्रांकः– वन भूमि–34 / 2020.................... / प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

मोख्तारूल हक,
परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक........................

विषय :– दरभंगा जिलान्तर्गत दोनार गुमती–टिनही पुल तक प्रस्तावित नाले के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 14.85 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, दरभंगा द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग की अधिसूचना संख्या–189 (ई०) एवं 190 (ई०), दिनांक–16.02.1994 के अंतर्गत "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, परन्तु भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। प्रस्तावित परियोजना में 14.85 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्तावित है तथा इस परियोजना में निर्माण स्थल पर अवस्थित कुल–166 वृक्षों में से 55 वृक्षों काटे जाने की आवश्यकता नहीं है साथ ही परियोजना निर्माण के क्रम में 17 वृक्षों को पुर्नस्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में 94 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। विषयांकित अपयोजन प्रस्ताव हेतु वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव के लिए रेखांकित टोपो सीट संलग्न किया गया है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल–14.85 हे0 अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 29.70 हे0 अर्थात 30 हे0 अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, बाँका के बौंसी प्रक्षेत्र अन्तर्गत कोहराटीकर टोला PF को चिन्हित करते हुए कुल–45,88,109 /– (पैंतालीस लाख अठासी हजार एक सौ नौ रूपये) मात्र के राशि का वृक्षारोपन का प्राक्कलन संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 14.85 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 92,96,100 /–(बानवें लाख छियानवें हजार एक सौ रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. अपयोजित होने वाली 14.85 हे० वनभूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए बाँका वन प्रमंडलन्तर्गत 30.00 हे० अवकृष्ट वनभूमि कोहराटीकर टोला मोचनावरण सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 45,88,109/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी पर उपलब्ध करायी जाएगी।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1108/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–34/2020....................../प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/कार्यपालक अभियंता, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांक :– वन भूमि–34/2020 407(S0)/प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक 28/04/2020

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

27/4/2020
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी